न्यायालय : अवर न्यायाधीश, अरेराज, पूर्वी चम्पारण।
विभाजन वाद संख्या 30/2020
सीआइएस 30.20

प्रस्तुत समक्षः **श्री मनीष कुमार पाण्डेय।**

आदेश

दिनांक 15.12.2023 वाद पुकारा गया। मामले में प्रतिवादी सं0 13 और 14 की तरफ से एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पर आदेश हेतु नियत है।

प्रतिवादी सं0 13 और 14 का कथन है कि मामले में वादी का कोई वाद कारण नहीं है वर्तमान वाद विधि के प्रावधानों से बाधित है यह कि वाद पत्र के कंडिका 7 तथा कंडिका 9 के अंतर्गत वादी ने विभाजन वाद सं0 120/96 का उल्लेख किया है जिसका विषय वस्तु वर्तमान वाद के समरूप है । यह कि वादी स्वयं विभाजन वाद सं0 120/96 में प्रतिवादी सं0 5 हैं यह कि वादी ने कंडिका 9 में यह स्वीकार किया है कि वादी 120/96 में उपस्थित होकर उत्तर पत्र दाखिल किये हैं और साक्ष्य भी दे चुके हैं यह कि उस मुकदमे में संशोधन आवेदन के जरिए काउंटर क्लेम दर्ज करने का प्रयास किया गया है परन्तु न्यायालय में उसे अस्वीकृत कर दिया है। माननीय पटना उच्च न्यायालय ने भी किसी तरह की कोई राहत वादी को प्रदान नहीं की है यह कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। यह कि एक नया वाद विधि के प्रावधानों के मुताबिक बाधित है यह कि विभाजन के लिए विभाजन वाद 120/96 के लम्बित रहने के दौरान पक्षकारों का बंटवारा के लिए राजी नहीं होना । वाद कारण का विषय वस्तु नहीं हो सकता है। यह कि वादी ने वाद कारण की तिथि दिनांक 14.01.2020 और दिनांक 25.11.2020 बतायी है इन दोनों ही तिथियों में तथा आज भी बंटवारा मुकदमा 120/96 विचाराधीन होने के कारण प्रस्तुत वाद व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11ए तथा 11डी के अंतर्गत खारिज करने की कृपा करें।

वादी की तरफ से आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि प्रतिवादी का आवेदन न तो शपथ पत्र से समर्थित है और न ही सत्यापित है। यह कि विभाजन वाद सं0 120/96 में वर्णित मद न0 3 की संपत्ति विवादित नहीं है यह कि विभाजन वाद एक बार नहीं बल्कि अनेक बाद छूटी हुई संपत्ति के बाबत किया जा सकता है यह कि विभाजन वाद 120/96 में प्रतिवादी के काउंटर क्लेम का दावा विलंब के कारण था इसलिए खारिज किया गया । यह कि यह वाद आदेश 7 नियम 11ए एवं डी के प्रावधानों के अनुसार वाद बाधित नहीं है अतः प्रतिवादी सं0 11, 13, 14 द्वारा दाखिल आवेदन खारिज करने की कृपा की जाए ।

उभय पक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया । वादी ने अपने समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एवं विभाजन वाद सं0 120/96 का वाद पत्र की छायाप्रति एवं स्वत्व अपील वाद सं0 11/21 के अंर्तगत पारित आदेश की छायाप्रति न्यायालय में प्रस्तुत की है। प्रतिवादी का आवेदन न तो सत्यापित है और न ही शपथ पत्र से समर्थित है । मामले में बंटवारा वाद 30/20 को पूर्व वर्तमान न्यायालय द्वारा दिनांक 04.03.2021 को वाद को स्वीकृत न करने संबंधी आदेश पारित किया गया था जिससे क्षुब्द्ध होकर वादीगण अपर जिला न्यायाधीश–11 के न्यायालय में स्वत्व अपील वाद सं0 11/21 दायर किये जिसमें दिनांक 21.03.2022 को न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में निर्णय दिया गया तथा निम्न न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 23 के अंतर्गत इस निर्देश के साथ वाद प्रेषित किया कि दिनांक 04.03.2021 के आदेश पर पुनः सुनवाई करे और विधि अनुसार सम्यक आदेश पारित करें। यह कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के अनुसार वाद पत्र कब नामंजूर होता है वो सारी परिस्थितियां वर्णित की गयी है, **11 क के अनुसार– जब वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता तथा नियम 11घ के अनुसार– जहां वाद पत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।** इस प्रकार इन बिंदुओं पर पूर्ववर्ती अपीलीय न्यायालय ने विधिवत निर्णय पारित कर दिया है और तत्पश्चात आदेश के बाद

विभाजन वाद संख्या 30 / 2020
सीआइएस 30.20
दिनांक 15.12.2023

अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकृत किया गया अतः प्रस्तुत मामले में प्रतिवादी सं0 13 एवं 14 के द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत दिया गया आवेदन पोषणीय नहीं है आवेदन शपथ पत्र द्वारा समर्थित भी नहीं है और न ही सत्यापित है अतः आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। उभय पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि मामले में अग्रिम कार्रवाई करें जिससे कि वाद का शीघ्र निस्तारण संभव हो सके। वाद दिनांक .....वास्ते अग्रिम कार्रवाई।

लेखापित तथा संशोधित

अवर न्यायाधीश
अरेराज (पूर्वी चम्पारण)